न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–28/2020–21

अख्तर अंसारी .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदक अख्तर अंसारी, पिता– स्व0 अब्दुल मियाँ, ग्राम + पो0– औंरा, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **143 R27/2019-20** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
औंरा	252	23	2220	9.5 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **143 R27/2019-20** में दिनांक 06.11.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन पंजी II में बिक्रेता के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं रहने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से ऑनलाईन जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमें बिक्रेता के पिता कारू मियां के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **143 R27/2019-20** में दिनांक 06.11.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

7.X.20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

7.X.20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)